UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो. गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404

दूरभाष: 01334-244282, फैक्स: 244282

वैबसाइट:ukpsc.gov.in

~~सं0:399 / 28 / ई0–1 / जी0पी0सी0 / 2017–18~~ ~~दिनांक 28 नवम्बर, 2017~~

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
सिंचाई विभाग (अनुभाग–1),
देहरादून।

विषयः–**सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चयन वर्ष 2017–18 में परिणामी रिक्तियों के सापेक्ष डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया शासन के पत्र सं0 1887 / II(1)–201–01(29) (18)–2011 / 2013, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चयन वर्ष 2017–18 में परिणामी रिक्तियों के सापेक्ष डिप्लोमाधारी कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता(सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु अधियाचन प्रस्ताव एवं संगत अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में **चयन समिति की बैठक दिनॉक <u>06.12.2017 को पूर्वाहन 11.30 बजे</u>,** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में निर्धारित की गयी है। प्रकरण पर विचार करने हेतु चयन समिति की बैठक से पूर्व निम्न सूचनाऐं / अभिलेख अपेक्षित हैः–

(1) शासन द्वारा वरिष्ठता सूची के क्रमांक–306ए से 344 तक उपलब्ध करायी गयी है। पात्रता सूची में वरिष्ठता क्रमांक–306ए, व वरिष्ठता क्रमांक–331 से 344 तक के कार्मिकों के नाम सम्मिलित किये गये हैं तथा शासन के पत्र में वरिष्ठता क्रमांक–307 से 330 तक के कार्मिकों की पूर्व में पदोन्नति होने का उल्लेख किया गया है। शासन से वरिष्ठता क्रमांक–01 से 306 तक के कार्मिकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है।

(2) पात्रता सूची में क्रमांक–1 के कार्मिक श्री राजीव कुमार अग्रवाल की नियुक्ति की तिथि 20.04.2012 अंकित की गयी है, तथा कार्यालय ज्ञाप सं0 जी0–180 / मु0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक / ई–6 दिनॉक 10.06.2013 द्वारा ज्येष्ठता क्रमांक–306(ए) प्रदान किया गया है। इस कार्यालय ज्ञाप में यह भी उल्लेख है कि संयुक्त अवर / कनिष्ठ अभियन्ता आपात कालीन सीधी भर्ती प्रतियोगितात्मक परीक्षा–2002 के अन्तर्गत आयोग के पत्र दिनॉक 25.04.2013 व शासन के पत्र दिनॉक 13.05.2013 के क्रम में संशोधित ज्येष्ठता जारी की गयी है। चूँकि उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति तिथि के आधार पर अर्हकारी सेवा धारित नहीं करते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय चयन समिति स्तर पर लिया जाना है, तत्क्रम में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित हैं।

(3) शासन के पत्र में पदोन्नत डिप्लोमाधारी कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के कुल 178 पदों के सापेक्ष चयन वर्ष 2017–18 में परिणामी रिक्ति के 09 पदों के सापेक्ष 01 पद के सम्बन्ध में श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डे, सहायक अभियन्ता (सिविल) की सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक 31.12.2017 से उत्पन्न रिक्ति का विवरण उपलब्ध कराया गया है तथा अन्य 08 परिणामी रिक्तियों के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके सम्बन्ध में चयन वर्ष 2017–18 के सापेक्ष उक्त 08 परिणामी रिक्तियां जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति / पदोन्नति से उत्पन्न हुई है, उनका विवरण अपेक्षित है।

3– यह अवगत कराना है कि चयन समिति के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली–2003 के नियम–11 के अनुसार शासन प्रतिनिधि, जो कि अपर सचिव पद से कम स्तर के न हों तथा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में विभागाध्यक्ष को नामित किया जाना आवश्यक है।

क्रमशः........2...

यह उल्लेख करना है कि चयन वर्ष 2017–18 के परिणामी रिक्तियों के सापेक्ष पात्रता सूची के कार्मिकों के सेवा अभिलेख, यथा वार्षिक चरित्र प्रविष्टियॉ इत्यादि मूलरूप में अभिलेखों से मिलान करने के लिए विभाग के विज्ञ अधिकारी के साथ दिनॉक 04.12.2017 को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अभिलेखों के परीक्षण करने के पश्चात मूल अभिलेख चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया नामित अधिकारीगण को चयन समिति की बैठक **दिनॉक 06 दिसम्बर, 2017 के पूर्वाह्न 11.30 बजे** में प्रतिभाग करने की सूचना प्रदान करते हुए, नामित सदस्यों के नाम, पदनाम व दूरभाष की सूचना अधोहस्ताक्षरी को ***फैक्स संख्या (01334–244282)*** **एवं ई मेल– examoneukpsc@gmail.com** पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

28/11/17

(आनन्द स्वरूप),
सचिव।

संख्याः 399 **/28/ई0–1/डी०पी०सी०/2017–18, तद्दिनॉक।**

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/11/17

(आनन्द स्वरूप),
सचिव।